



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112024-258690
CG-DL-E-16112024-258690

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2024/कार्तिक 23, 1946

No. 315]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2024/KARTIKA 23, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2024

सं. 32/2024-2025

विषय:- प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.71 में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/061/एएम-25/पीसी-4 —समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 तथा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.71 को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करते हैं।

क्रम संख्या	पैरा संख्या	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	4.71	निर्यात का पत्तन स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं संबंधी स्कीमों के अधीन निर्यात की अनुमति मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, कोच्चि, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, डेबोलिन एयरपोर्ट, गोवा, हैदराबाद और सूरत (सूरत हीरा बोर्स) स्थित सीमाशुल्क सदनों के जरिए वायु	निर्यात का पत्तन स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं संबंधी स्कीमों के अधीन निर्यात की अनुमति मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, कोच्चि, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, डेबोलिन एयरपोर्ट, गोवा, हैदराबाद और सूरत (सूरत हीरा बोर्स) और अमृतसर एयरपोर्ट स्थित सीमाशुल्क

		भाड़े और विदेशी डाकघर द्वारा दी जाएगी। प्रति खेप 20 लाख रुपए मूल्य के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य तक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बटूर, दिल्ली, जयपुर, बँगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद स्थित सीमा-शुल्क सदनों के माध्यम से कूरियर द्वारा भी निर्यात अनुमत होगा।	सदनों के जरिए वायु भाड़े और विदेशी डाकघर द्वारा दी जाएगी। प्रति खेप 20 लाख रुपए मूल्य के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य तक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बटूर, दिल्ली, जयपुर, बँगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद स्थित सीमा-शुल्क सदनों के माध्यम से कूरियर द्वारा भी निर्यात अनुमत होगा।
--	--	---	--

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.71 में व्यापार को सुगम बनाने हेतु 'अमृतसर एयरपोर्ट' को स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं संबंधी स्कीमों के अधीन निर्यात के लिए जोड़ा गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 13th November, 2024

No. 32/2024-25

Subject: Amendment in Para 4.71 of Handbook of Procedures, 2023

F No. 01/94/180/061/AM25/PC-4.—In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendment in Para 4.71 of Handbook of Procedures, 2023 with immediate effect:

Sl. No.	Para No.	Existing Provision	Revised Provision
1	4.71	<p>Port of Export</p> <p>Exports under schemes of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof shall be allowed by airfreight and Foreign Post Office through the Customs House at Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, Jaipur, Bengaluru, Kochi, Coimbatore, Ahmedabad, Dabolin Airport, Goa, Hyderabad, and Surat (Surat Hira Bourse). Export by courier shall also be allowed through Custom Houses at Mumbai, Kolkata, Chennai, Kochi, Coimbatore, Delhi, Jaipur, Bengaluru, Ahmedabad and Hyderabad upto FOB value of Rs.20 lakh per consignment.</p>	<p>Port of Export</p> <p>Exports under schemes of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof shall be allowed by airfreight and Foreign Post Office through the Customs House at Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, Jaipur, Bengaluru, Kochi, Coimbatore, Ahmedabad, Dabolin Airport, Goa, Hyderabad, Surat (Surat Hira Bourse) and Amritsar Airport. Export by courier shall also be allowed through Custom Houses at Mumbai, Kolkata, Chennai, Kochi, Coimbatore, Delhi, Jaipur, Bengaluru, Ahmedabad and Hyderabad upto FOB value of Rs.20 lakh per consignment.</p>

Effect of the Public Notice: Additional Port of export as 'Amritsar Airport' added in Para 4.71 of the Handbook of Procedures 2023, for exports under schemes of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, for ease of doing business.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade, Ex-officio Addl. Secy .